

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
जलार प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-8-2019

:-कार्यालय धाप:-

अधिसूचित भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद द्वारा वित्तिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा कार्गोरी संस्थाओं की संख्याओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार प्रदेश की सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा निम्न धाप हेतु दिनांक 14-6-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से कार्यरत संस्थाओं का सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कृषि हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को गठ-17 में डिप्लोमा इन फार्मोसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नानु निर्णय लिया गया :-

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मोसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूच सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संसुक्ति प्रदान की गयी है, के संकेत में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय में बैठक आयोज कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

अतः निम्नानुसार संशोधित संख्या को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसुक्ति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलार प्रदेश द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उल्लेख अधिसूचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नामा संस्था	क्षमता का वर्ण	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2019	अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्गो, विदेश एवं पेश-नवस्थापित, बस्ती - 272002	डिप्लोमा इन फार्मोसी	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ नामा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करनी।
- ✓ नामा जलार प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं जलार तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा कार्गो 1000 तथा अन्य निर्धारित निष्पत्ती एवं अर्हता का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारित दरों हेतु निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्गोरी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्गोरी पाठ्यक्रम के अधिसूचित) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही इत्येव प्राप्त/काज हो प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिसूचित धाप/प्रस्तावों की शुल्क को सामान्य से सामान्य-समय पर जलार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सामान्य प्रणाली से, भी उद्युक्त कार्गोरी शिक्षा का अनुपालन होगा। और निर्धारित

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय उच्च-मैट्री शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्पोरेटी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विस्तार कर्तव्य उच्च-मैट्री शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिसू, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसू नई संस्थाओं से सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद-3 में विस्तार इन कार्पोरेटी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तुत रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पत्र विचार-विमर्श एवं निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

- निम्नी श्रेण में स्थापित डिप्लोमा इन कार्पोरेटी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें कक्षावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आया सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समतल हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित कक्षा समतल	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समतल
1	2019 अखिल भारतीय उच्च-मैट्री और कार्पोरेटी शिक्षा परिषद एवं पीठ- लखनऊ, उत्तर प्रदेश	डिप्लोमा इन कार्पोरेटी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईआईटीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों के अन्तर्गत विनियमबद्धी ज्ञान तथा अन्य विनियमों के अन्तर्गत का अनुमोदन करेगी तथा सुलभ निवेश समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्पोरेटी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों हेतु प्रति कार्पोरेटी पाठ्यक्रम के अधिसूचि हेतु ₹ 22,50,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रदत्त प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिसूचि प्राप्त/प्राप्तों से शुल्क से सम्बन्ध में समय-समय पर

